

क्रमांक : प. 2(2)वित्त/पेंशन/2020  
निदेशक,  
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग  
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:-

10 OCT 2022

विषय:- बिना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये पेंशन वितरित करने की अवधि बढ़ाये जाने बाबत।

संदर्भ:-आपकी एकल पत्रावली संख्या प. 15/निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21/  
डीपीडी/पीएस/2022/83 दिनांक 27.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित एकल पत्रावली मूल ही लौटाकर निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त एकल पत्रावली द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में बिना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये पेंशन वितरित किये जाने की अवधि दिनांक 31.03.2023 तक अथवा मोबाईल ऐप तैयार होने तक, जो भी इनमें से पहले हो, तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग से बारकोड संख्या 592200212 दिनांक 06.10.2022 पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(वेद प्रकाश गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

11/10/2022